



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।



उत्तराखण्ड राज्य

Fax No. 2780290

Website: www.res.uk.gov.in

Ph. No. 2781556, 2780290

e-mail: hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक 620 / ग्रा0नि0वि0 / कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) / 2023-24 दिनांक : 09/06/2023
(स्थानान्तरण आदेश)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या I/120994/2023/XXX(2)/E-33080 एवं शासनादेश संख्या I/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.5.2023 के अनुसार स्थानान्तरणों हेतु निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा के अर्न्तगत विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संस्तुति किये गये विभाग में कार्यरत् निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है।

क्रम संख्या	कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	अन्य विवरण
1	श्री धीरज कुमार	प्रखण्ड-ऊधमसिंहनगर	प्रखण्ड-भिकियासैण	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17-(एक)(क) के अन्तिम परन्तुक के अर्न्तगत
2	श्री चन्द्र किशोर गौड	प्रखण्ड-ऊधमसिंहनगर	प्रखण्ड-कोटद्वार के (दुर्गम क्षेत्र)	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17-(एक)(क) के अर्न्तगत
3	श्री प्रदीप सैनी	प्रखण्ड-हरिद्वार	प्रखण्ड-कोटद्वार के (दुर्गम क्षेत्र)	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17-(एक)(क) के अर्न्तगत
4	श्री तैलूराम गौतम	प्रखण्ड-हरिद्वार	प्रखण्ड-कोटद्वार के (दुर्गम क्षेत्र)	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17-(एक)(क) के अर्न्तगत
5	श्री बोबिन्द्र कुमार	प्रखण्ड-टिहरी (वि0ख0थोलधार)	प्रखण्ड-हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 10- (क) के अर्न्तगत
6	श्री कर्मवीर सिंह	प्रखण्ड-टिहरी (जौनपुर)	प्रखण्ड-हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17-(ख) 5 के अर्न्तगत
7	श्री इन्द्र सिंह घिलवाल	प्रखण्ड-नैनीताल (बैतालघाट)	प्रखण्ड-ऊधमसिंहनगर	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 10- (क) के अर्न्तगत
8	श्री सुरेन्द्र सिंह तनवर	प्रखण्ड-घनसाली	प्रखण्ड टिहरी	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 10- (क) के अर्न्तगत
9	श्री अनिल कुमार	प्रखण्ड-देहरादून (दुर्गम)	प्रखण्ड-हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 10- (क) के अर्न्तगत
10	श्री कर्मवीर सिंह	प्रखण्ड-नैनीताल	प्रखण्ड-कोटद्वार के (दुर्गम क्षेत्र)	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17-(एक)(ख)(छ) के अर्न्तगत

1-स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1)(2)(3)(4) के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्यानिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।

2-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और उनका माह जुलाई 2023 का वेतन नव तैनाती प्रखण्ड से ही आहरित किया जायेगा।

3-नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4-यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकता है।

5-धारा-25 के अर्न्तगत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।


E6/

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड-देहरादून

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड-शासन देहरादून।
- 2-मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल (स्थित भीमताल)
- 3-अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल,
- 4-अधिशासी अभियन्ता ऊधमसिंहनगर, भिकियासैण, कोटद्वार, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, घनसाली,
- 5-वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी ऊधमसिंहनगर, भिकियासैण, कोटद्वार, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, घनसाली
- 8-उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर, भिकियासैण, कोटद्वार, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, घनसाली,
- 9-व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय आदेश पत्र बन्ध।
- 10-विभागीय बैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड-देहरादून